न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–05, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 मनोज जोशी, आर0जे0एस0
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 170/2026
सी.आई.एस. संख्या : 1225/2026

CNR : RJJM010202912026

छेदी प्रसाद गुप्ता (सी.पी.गुप्ता) पुत्र श्री बुटि राम गुप्ता (बी.आर.गुप्ता) आयु 72 वर्ष, निवासी ई एच 16, दिलसुख कॉलोनी, लखनऊ (उत्तरप्रदेश) हाल मकान नंबर 59 सी, उपहार एल्विको कॉलोनी लखनऊ पुलिस थाना कोतवाली पीजीआई लखनऊ (उत्तरप्रदेश)

—— प्रार्थी/अभियुक्त

ब ना म

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक

—— अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 197/2001 पुलिस थाना अशोक नगर, जयपुर
नियमित आ0प्रकरण संख्या 631/2011, सरकार बनाम राजा उर्फ अबरार वगैरह
अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 120बी भा.द.सं0

———————

उपस्थिति :–
1–श्री शिव कुमार त्यागी, विद्वान अधिवक्ता वास्ते–प्रार्थी/अभियुक्त।
2–श्री शलभ वर्मा, विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते–अप्रार्थी/राज्य।

आदेश **दिनांक : 20.07.2026**

1– प्रार्थी/अभियुक्त **छेदी प्रसाद गुप्ता (सी.पी.गुप्ता)** की ओर से उनके अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से जमानत प्रार्थना पत्र अंतरित होकर इस न्यायालय को वास्ते निस्तारण प्राप्त हुआ। जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली तलब की गयी एवं उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गयी।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 27.07.2001 को परिवादी सुबोध भण्डारी ने थानाधिकारी पुलिस थाना अशोक नगर, जयपुर के समक्ष

उपस्थित होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की दी कि उनकी फर्म जयपुर पब्लिसिटी सेन्टर द्वारा लायन्स ग्रुप ऑफ कम्पनीज के जुलाई 1995 से दिसम्बर 1997 तक दुरदर्शन व अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करवाये थे। जिसका कुल भुगतान 12,43,040/–रूपये बकाया निकलता है। इसमें से उन्होंने एक चैक 02 लाख रूपये का दिया, जो अपर्याप्त धनराशि के कारण वापस हो गया है। कार्यालय पर सम्पर्क किया तो ताले लगे है। इस प्रकार लायन्स ग्रुप ने धोखाधडी की है। अतः कार्यवाही करावे.... आदि पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 197/2001 अपराध अन्तर्गत धारा 420 भा.द.सं0 पंजीबद्ध कर बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420, 406, 120बी भा.द.सं0 में तितम्बा आरोप पत्र संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–09, जयपुर महानगर प्रथम द्वारा दिनांक 04.07.2026 को खारिज किये जाने पर उक्त जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

3– बहस के दौरान् विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूंठा फसाया है, आरोपित अपराध से उसका कोई संबंध–सरोकार नहीं है। उनका तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त आरोपित अपराध के समय आरोपित अपराध में दर्शाये गये पते ईएच–16, दिलपुरा कॉलोनी, लखनउ पर निवास नहीं करता था। तत्समय वह 59सी, उपहार एल्डिको, उदयपन–2, रायबरेली मार्ग, उतरटिया, लखनउ, उत्तरप्रदेश 226025 पर निवास करता था। प्रार्थी/अभियुक्त पर हस्तगत प्रकरण की तामील/सूचना दिनांक 27.06.2026 से पूर्व पुलिस या न्यायालय द्वारा नहीं की गयी तथा पुलिस द्वारा अपनी पत्रावली निस्तारण करने के लिये फौरी तौर पर सूचना दिये जाने का अंकन करते हुये धारा 299 द.प्र.सं0 में चालान पेश किया गया है। न्यायालय द्वारा पुलिस रिपोर्ट के आधार पर स्थायी वारंट जारी कर दिया तथा धारा 299 द.प्र.सं0 के तहत उसके विरूद्ध चालान प्रस्तुत कर दिया गया। उनका तर्क रहा है कि सह–अभियुक्त जीवा लाल जैन के बराबर ही प्रार्थी/अभियुक्त को स्थायी वारंट की तामील से गिरफ्तार किया गया था। सह–अभियुक्त जीवा लाल जैन को न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–8 जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा जमानत का लाभ दिया जा चुका है तथा प्रकरण में जीवा लाल जैन को दोषमुक्त भी किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला सह–अभियुक्त से भिन्न नहीं है, इसलिये उसे जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित है। उनका तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त 72 वर्षीय वरिष्ठ बुजुर्ग

नागरिक है, जो किडनी हायड्रोसील व आंखों की गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिसकी हाल ही में सर्जरी हुयी है और उसका निरन्तर ईलाज जारी है। प्रार्थी/अभियुक्त के न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसकी पत्नी, जिसका अभी हीप रिप्लेसमेंट हुआ है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उनका तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त की प्रकरण में कोई भूमिका नहीं रही है, ना ही वह कम्पनी का निदेशक है। प्रकरण में सह–अभियुक्त की जमानत माननीय सेशन/अपर सेशन न्यायालय द्वारा स्वीकार की गयी है, प्रार्थी/अभियुक्त का मामला सह–अभियुक्त से भिन्न नहीं है। उनका तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रकरण में दिनांक 26.06.2026 से अर्थात् करीब 01 माह से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में सह–अभियुक्त जीवा लाल को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जा चुका है। परिवादी द्वारा परिवाद/रिपोर्ट में पहले मुलजिम लायन्स म्यूचिअल बेनीफिट्स लि0 कम्पनी को बनाया गया है तथा प्रार्थी/अभियुक्त को मैनेजर की हैसियत से आरोपी बनाया गया है, जबकि यह कम्पनी नहीं होकर भागीदारी फर्म थी, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त ना तो डायरेक्टर है और ना ही भागीदार है। उक्त फर्म के भागीदार अखिलेश, मुख्तयार अहमद व शक्ति कुमार पाण्डे रहे हैं। उनका तर्क है कि उक्त फर्म द्वारा जो दस्तावेज बैंक को खाता खोलने के लिये दिये गये हैं, उनमें कही पर भी प्रार्थी/अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ आरोपित अपराध के संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य या दस्तावेज नहीं है, ना ही उसका कोई कृत्य या भूमिका बतायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त को आज भी पता नहीं है कि उसके खिलाफ कोई केस है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। प्रार्थी/अभियुक्त के परिवार में मात्र वह पति–पत्नी है तथा उसकी पत्नी भी बीमार है, जिसकी देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं है। उनका तर्क रहा है कि प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया जा चुका है, इसलिये प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी अथवा अनुसंधान किया जाना शेष नहीं है। प्रकरण के विचारण व निस्तारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त भारत देश का स्थायी निवासी है, जिसके फरार होने या गवाहान् को बरगलाने का अंदेशा नहीं है। आरोपित अपराध मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है तथा प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार–तत्पर है। अंत में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में दस्तावेजों की सूची के साथ स्वयं प्रार्थी/अभियुक्त व उसकी पत्नी के

मेडिकल संबंधी दस्तावेजात् की प्रतियां एवं निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये :–

1– 2022 लाईव लॉ (एससी) 577
सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन व अन्य

2– (2025) 10 सुप्रीम कोर्ट केसेज 96
धनसिंह प्रभु बनाम चन्द्रशेखर व अन्य

3– क्रिमिनल अपील नंबर 3525/2024 आदेश दिनांक 27 अगस्त, 2024
अब्दुलमजीद अब्दुलसत्तार मेमन बनाम स्टेट ऑफ गुजरात

4– खण्डन में विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की गंभीरता, उसकी अनुपस्थिति की अवधि एवं आपराधिक रिकॉर्ड को दृष्टिगत रखते हुये जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5– उभय पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान् अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात्, आपराधिक रिकॉर्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6– थानाधिकारी पुलिस थाना अशोक नगर, जयपुर की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का हस्तगत प्रकरण सहित, आपराधिक रिकॉर्ड निम्नांनुसार है :–

क.सं.	मुकदमा नंबर	पुलिस थाना	अपराध धारा	नतीजा
1	159/1998	अशोक नगर, जयपुर	420, 406, 120बी भा.द.सं0	चार्जशीट
2	160/1998	अशोक नगर, जयपुर	420, 406, 120बी भा.द.सं0	चार्जशीट
3	220/1998	अशोक नगर, जयपुर	420, 406, 120बी भा.द.सं0	चार्जशीट
4	233/1998	अशोक नगर, जयपुर	420, 406, 120बी भा.द.सं0	चार्जशीट
5	234/1998	अशोक नगर, जयपुर	420, 406, 120बी भा.द.सं0	चार्जशीट
6	271/1998	अशोक नगर, जयपुर	420, 406, 120बी भा.द.सं0	चार्जशीट
7	291/1998	अशोक नगर, जयपुर	420, 406, 120बी भा.द.सं0	चार्जशीट
8	01/1999	अशोक नगर, जयपुर	420, 406 भा.द.सं0	चार्जशीट
9	25/1999	अशोक नगर, जयपुर	420, 406, 120बी भा.द.सं0	चार्जशीट
10	62/1999	अशोक नगर, जयपुर	420, 467, 468, 471, 120बी भा.द.सं0	चार्जशीट
11	65/1999	अशोक नगर, जयपुर	420, 406 भा.द.सं0	चार्जशीट
12	68/2000	अशोक नगर, जयपुर	420, 406, 120बी भा.द.सं0	चार्जशीट
13	197/2001	अशोक नगर, जयपुर	420, 406, 120बी भा.द.सं0	चार्जशीट

7– पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचते हुये परिवादी को झांसा देकर उसके साथ छल कारित करने एवं न्यस्त राशि हडप कर आपराधिक न्यासभंग कारित करने बाबत् धारा 420, 406, 120बी भा.द.सं0 के अपराध का आरोप है। आरोपित अपराध में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध **वर्ष 2006** में तितम्बा (अनुपूरक) चार्जशीट धारा 299 द.प्र.सं0 के तहत मफरूरी में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। तत्पश्चात् **वर्ष 2026** में प्रार्थी/अभियुक्त के स्थायी गिरफ्तारी वारंट पर उसके दीगर प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध होने की रिपोर्ट पेश होने पर प्रार्थी/अभियुक्त को जरिए प्रोडक्शन वारंट हस्तगत प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त प्रकरण में दिनांक 04.07.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।

8– इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त प्रकरण में करीब 20 वर्षो से लगातार अनुपस्थित रहा है। उक्त लम्बी समयावधि की अनुपस्थिति के कारण निश्चित रूप से प्रकरण में विचारण विलंबित हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा अनुपस्थिति का जो कारण दर्शित किया गया है, वह युक्तियुक्त एवं सद्भावी होना प्रकट नहीं होता है। पत्रावली के अनुसार सह–अभियुक्त जीवालाल जैन के विरूद्ध भी प्रार्थी/अभियुक्त के साथ वर्ष 2006 में तितम्बा चार्जशीट पेश की गयी है किन्तु वर्ष 2010 में ही अभियुक्त जीवालाल जैन के प्रकरण में उपस्थित होने पर कालांतर में उसे जमानत का लाभ दिया गया है। इस प्रकार अभियुक्त जीवालाल की अनुपस्थिति अवधि करीब 04 वर्ष रही है, जबकि प्रार्थी/अभियुक्त की उक्त अवधि करीब 20 वर्ष से अधिक होने के कारण उसका मामला सह–अभियुक्त से भिन्न प्रकट होता है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उपर वर्णितानुसार इसी प्रकार के करीब 12 अन्य आपराधिक प्रकरण संस्थित होना भी जाहिर आया है, जिससे उसका आपराधिक प्रवृत्ति का होना दर्शित होता है। ऐसी स्थिति में यदि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो उसके फरार होने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः मामले के गुणावगुण पर इस स्तर पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

9– परिणामतः, प्रार्थी/अभियुक्त **छेदी प्रसाद गुप्ता (सी.पी.गुप्ता)** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(डॉ0 मनोज जोशी)
अपर सेशन न्यायाधीश,
क्रम–5, जयपुर महानगर–प्रथम

10– आदेश आज दिनांक **20.07.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 मनोज जोशी)
अपर सेशन न्यायाधीश,
क्रम–5, जयपुर महानगर–प्रथम

NEERAJ KUMAR
Digitally signed by NEERAJ KUMAR
Date: 2026.07.21 11:33:03 +0000